भेड़ाघाट सीवरेज उप-परियोजना, जिला जबलपुर (म.प्र.)

1. मध्यप्रदेश भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का द्वितीय, जनसंख्या की दृष्टि से पंचम तथा नगरीकरण की दृष्टि से आठवें क्रम का राज्य है। वर्तमान में मध्यप्रदेश की कुल शहरी जनसंख्या 201 लाख है जोकि राज्य की कुल जनसंख्या का 28 प्रतिशत है एवं प्रदेश 476 शहरी क्षेत्रों में स्थित है।

2. पिछले दशक (2001-2011) में शहरी केंद्रों की जनसंख्या में 20 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है, जिसमें जनगणना के शहरों में हुई 50 प्रतिशत वृद्धि सम्मिलित है, जबकि इसके विरुद्ध पिछले दशक (1991-2001) में मात्र 6 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी।

3. म.प्र. सरकार द्वारा दृष्टि पत्र (Vision Document) 2018 निर्माण करने के लिए कई कार्यक्रम चला रही है। मध्यप्रदेश शहरी विकास परियोजना (एम.पी.यू.डी.पी.) ऐसा ही एक कार्यक्रम है, जिसके द्वारा शहरी क्षेत्रों में जल आपूर्ति और अपशिष्ट प्रबंधन की विभिन्न उप-परियोजनाएं विश्व बैंक से प्राप्त वित्तीय सहायता द्वारा क्रियान्वित की जा रही हैं।

उप-परियोजना विवरण

4. मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में भेड़ाघाट एक छोटी नगर पालिका (नगर परिषद) है। भौगोलिक दृष्टि से भेड़ाघाट 23°08'N, 79°48'E और 23°13°N, 79°80°E के मध्य नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। भेड़ाघाट एक प्रमुख पर्यटक स्थल है जो प्रदेश के तीसरे सबसे बड़े शहर जबलपुर के नजदीक स्थित है, जोकि नर्मदा के तट पर यह ऊंचे पहाड़ नदी के किनारे आकार बदलते हैं। भेड़ाघाट में नर्मदा नदी के साथ खूबसूरत संगमरमर चट्टानें पर्यटकों को एक जादू का अनुभव प्रदान करती हैं।

5. वर्तमान में भेड़ाघाट नगर में 53 एलपीसीडी की जल आपूर्ति आंशिक रूप से भूजल एवं नर्मदा नदी से सीधे पंपिंग के माध्यम से की जाती है। विस्तृत परियोजना विवरण, प्रारंभिक पर्यावरण परीक्षा और आंकलन का विवरण अनैच्छिक पुनर्वास एवं स्वदेशी लोगों के लिए उचित परिश्रम रिपोर्ट पहले ही एशियाई विकास बैंक द्वारा तैयार और अनुमोदित की जा चुकी है। इस परियोजना के लिए अनुबंध 05-08-2017 को किया गया है तथा कार्य प्रगति पर है। इस संवर्द्धन परियोजना द्वारा 2048 में भेड़ाघाट के निवासियों को 135 एलपीसीडी की दर से 1.24 एमएलडी की जल आपूर्ति की परिकल्पना की गई जल आपूर्ति का स्रोत नर्मदा नदी है। परियोजना के पूरा होने की निर्धारित तिथि 04.08.2019 है।

6. जल-आपूर्ति में वृद्धि के साथ, पवित्र नदी नर्मदा को प्रदूषण से बचाने के लिए, एमपीयूडीसी अब विश्व बैंक के अंतर्गत सीवेज संग्रह और उपचार परियोजना का प्रस्ताव दे रही है।

7. भेड़ाघाट सीवरेज परियोजना के लिए प्रस्ताव: शहर की स्थलाकृति और नगरपालिका वार्डों को ध्यान में रखते हुए भेड़ाघाट शहर को विकेंद्रित सीवरेज प्रणाली द्वारा आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है। भेड़ाघाट शहर को पांच मुख्य समूहों में बांटा गया है; इन समूहों से उत्पन्न मलजल छोटे बोर सीवर द्वारा एकत्र किया जाएगा और फिर से परिसंचरण रिएक्टरों (बीआरआर) उपचार संयंत्र (क्लस्टर 1, 2 और 5) या पैकेज

ट्रीटमेंट (क्लस्टर 3 और 4) के साथ डायजेस्टर और छोटे बोर सीवर नेटवर्क प्रदान करके जैविक-उपचार के साथ उपचारित किया जाएगा।

प्रस्तावित सीवरेज घटकों के विवरण निम्नलिखित हैं:

(अ) सीवेज पंपिंग स्टेशन (एस.पी.एस.): प्रत्येक तीन समूह (एक, दो एवं पाँच) के अपशिष्ट जल को एकत्रित करने के लिए तीन एस.पी.एस. और एक आई.पी.एस. की आवश्यकता होगी। इसके बाद अपशिष्ट जल को औसतन 100 मिमी व्यास वाले एवं 150 मीटर लंबे पंप द्वारा बाहर निकाला जाएगा। एस.पी.एस. का निर्माण अवरोधक समय साठ मिनट एवं औसतन सीवेज प्रवाह वर्ष 2048 के लिए किया जाना प्रस्तावित है। औसतन सीवेज प्रवाह 15 वर्ष के लिए अर्थात वर्ष 2033 तक माध्यमिक संरचना पंपिंग इकाइयों के रूप में स्थापित करने के लिए प्रस्तावित है।

(ब) सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट: समूह संख्या (एक, दो एवं पाँच) में तीन बीआरआर एसटीपी (0.43 एमएमडी, 0.11 एमएलडी और 0.22 तथा समूह संख्या (3 और 4 के लिए) 0.06 एम.एल.डी. क्षमता वाले पैकेज उपचार पर दो एसटीपी प्रस्तावित किए गए हैं।

(स) सीवर नेटवर्क: 100, 150 एवं 200 मिमी व्यास वाले आरसीसी पाइप प्रस्तावित हैं। घर से सीवर के कनेक्शन बनाने के लिए डीडब्ल्यूसी 120/100 मिमी का उपयोग किया जाएगा। विभिन्न पाइपों की लंबाई लगभग 7.055 किमी. होगी।

(द) हाउस कनेक्शन: घर की उपयोगिता हेतु घरेलू कनेक्सन को पास के सीवर से कनेक्ट करने के लिए 120/100 मिमी डीडब्ल्यूसी पाइप लगाने का प्रस्ताव है। यह तेजी से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करेगा और कनेक्शन के दौरान अकुशल लोगों द्वारा मैनहोल को नुकसान से बचाएगा।

पर्यावरण और सामाजिक आकलन

8. प्रस्तुत प्रतिवेदन एमपीयूडीपी के अंतर्गत भेड़ाघाट सीवरेज परियोजना के पर्यावरण एवं सामाजिक आकलन (ईएसए) प्रस्तुत करती है। इसका मूल्यांकन साहित्य, सार्वजनिक / अन्य हितधारकों के परामर्श और क्षेत्रीय यात्राओं की समीक्षा के आधार पर किया गया है, जो पूर्व निर्माण, निर्माण और संचालन चरण के दौरान प्राकृतिक पर्यावरण और उप-परियोजना क्षेत्र में सामाजिक स्थिति पर संभावित प्रभावों की पहचान कर सकता है।

9. विभिन्न पर्यावरणीय कारकों जैसे परियोजना क्षेत्र और उसके निकटस्थ के संवेदनशील क्षेत्र, निर्बाध वृक्षारोपण, उत्खनन के अनुचित भंडारण, निकटस्थ क्षेत्रों में बाढ़, अधिक शोर और धूल के स्तर, मौजूदा उपयोगिताओं के नुकसान की समीक्षा पर्यावरण और सामाजिक प्रबंधन ढांचे (ईएसएमफ) के आधार पर की गई है। उपरोक्त के आधार पर यह मानते हुए कि उप-परियोजना एक एकीकृत सीवरेज प्रणाली है, जिसमें परंपरागत सीवर सिस्टम उपचार संयंत्र, पंपिंग स्टेशन, आउटफॉल सीवर और छोटे बोर सॉलिड फ्री सिस्टम (एसबीएसएफएस) का निर्माण शामिल है। इस परियोजना को पर्यावरण परिप्रेक्ष्य से 'Ea' के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ।

10. एमपीयूडीपी के ईएसएमएफ के अनुसार सामाजिक स्क्रीनिंग और उप-परियोजनाओं के वर्गीकरण के लिए निर्धारित मापदंडों के आधार पर, वर्तमान उप-परियोजना, कम प्रभाव श्रेणी के अंतर्गत आती है, जिसमें भूमि अधिग्रहण शामिल नहीं होता है और अपशिष्ट जल का उपचार करके समग्र सकारात्मक प्रभाव पड़ता है जो पहले नर्मदा नदी को प्रदूषित कर रहा था। इस प्रकार उप-परियोजना को सामाजिक सुरक्षा परिप्रेक्ष्य द्वारा Sc श्रेणी के रूप में पहचाना गया है क्योंकि प्रस्तावित सभी कार्यस्थल सरकारी भूमि पर प्रस्तावित हैं और गैर-शीर्षक (Non-Title) धारक प्रभावित नहीं हो रहे हैं।

11. जहां संभावित प्रतिकूल प्रभावों की भविष्यवाणी की जाती है और इससे बचा नहीं जा सकता है, शमन उपायों का प्रस्ताव दिया गया है और इसका कार्यान्वयन पर्यावरण और सामाजिक प्रबंधन योजना (ईएसएमपी) और पर्यावरण निगरानी योजना (ईएमपी) / सामाजिक निगरानी योजना (SMP) के अंतर्गत निहित है।

नीतिगत, कानूनी और प्रशासनिक संरचना

12. इस परियोजना के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और राज्य पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण (MOEF&CC/SEIAA) से पर्यावरण मंजूरी की आवश्यकता नहीं है। निम्नलिखित राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर्यावरण और सामाजिक कृत्यों, क़ानूनों और विश्व बैंक की परिचालन नीतियाँ, जो भेड़ाघाट सीवरेज उप-परियोजना के लिए लागू होते हैं इस प्रकार हैं:-

(i) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986: यह भारत सरकार का पर्यावरण के क्षेत्र में व्यापक अधिनियम है।

(ii) जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974; नियम 1975 और संशोधन: यह अधिनियम इस परियोजना के लिए लागू होगा और प्रस्तावित सीवरेज उपचार मध्यप्रदेश राज्य प्रदूषण नियत्रंण बोर्ड से 'स्थापित करने की सहमति' और 'संचालित करने के लिए सहमति' की आवश्यकता होगी।

(iii) वायु (प्रदूषण निवारण और नियत्रंण) अधिनियम, 1981 एवं नियम 1982 और सशोधन: इस अधिनियम / नियम की आवश्यकता परियोजना के निर्माण और संचालन के दौरान, उप-परियोजना में उपयोग होने वाले विभिन्न उपकरणों / वाहनों के लिए होगी।

(iv) बाल श्रम (निषेध और नियमन) अधिनियम, 2000 लागू होगा।

(v) भू-अधिग्रहण, पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास में न्यायोचित क्षतिपूर्ति एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (आर.टी.एफ.सी.टी.एल.आर.आर.अधिनियम 2013): इस उप-परियोजना के लिए प्रस्तावित सिविल कार्यों मे से किसी के लिए भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास प्रभाव का अनुमान नहीं है इसलिए यह अधिनियम उप-परियोजना के प्रस्ताव पर लागू नहीं होगा।

(vi) स्ट्रीट वेंडर (पथ विक्रेता) आजीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) अधिनियम 2014: इस अधिनियम की आवश्यकता निर्माण के दौरान होगीं।

13. विश्व बैंक की वित्तीय सहायता से यह परियोजना एम.पी.यू.डी.पी. के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है। इसलिए, एम.पी.यू.डी.पी. के लिए पर्यावरण और सामाजिक प्रबंधन फ्रेमवर्क (ESMF) के माध्यम से विश्व बैंक की पर्यावरण और सामाजिक सुरक्षा नीतियों की आवश्यकताओं को स्वीकार किया गया है, जो इस उप-परियोजना पर लागू होगीं। इस उप-परियोजना के लिए लागू विश्व बैंक की सुरक्षा नीतियां निम्नानुसार हैं:-

i. पर्यावरण आकलन के संबंध में विश्व बैंक की ऑपरेशन पॉलिसी 4.01: OP 4.01 परियोजना के लिए लागू होगी।

ii. ऑपरेशन पॉलिसी / बैंक पॉलिसी 4.10 स्वदेशी लोग (Indigenous People): भारत के संविधान के अनुसार, भेड़ाघाट का कोई भी क्षेत्र पाँचवीं अनुसूची क्षेत्र मे नहीं आता है लेकिन लोग समूहों / टोलों में नहीं रह रहे हैं। वे परियोजना क्षेत्र के विभिन्न वार्डों में बिखरे हुए हैं। इसके अलावा, वे अपनी भाषा और संस्कृति के संदर्भ में मुख्य धारा का हिस्सा बन गए हैं। इसलिए, कोई अलग आई.पी.पी. बनाने की आवश्यकता नहीं है।

iii. ऑपरेशन पॉलिसी / बैंक पॉलिसी 4.11 शारीरिक सांस्कृतिक संसाधन: भेड़ाघाट एक प्रसिद्ध पुरातात्विक स्थल है और राष्ट्रीय महत्त्व के स्मारक हैं इसलिए यह परिचालन नीति उप-परियोजना पर लागू होगी।

iv. ऑपरेशन पॉलिसी / बैंक पॉलिसी 4.12 अनैच्छिक पुनर्वास: सीवर नेटवर्क और अन्य संबंधित गतिविधियां लगाने के लिए किसी भी अनैच्छिक पुनर्स्थापन की आवश्यकता नहीं है, यह नीति लागू नहीं होती है इसलिए कोई अलग (RAP) तैयार करने की आवश्यकता नहीं है।

आधारभूत पर्यावरणीय विवरण

14. भेड़ाघाट शहर की पर्यावरण एवं सामाजिक विवरणिका का अध्ययन उपलब्ध द्वितीयक जानकारी (Secondary Data), स्थलाकृति, जलवायु, पानी की गुणवत्ता एवं जैविक विवरण के आधार पर किया गया है। क्षेत्र में पाए जाने वाली वनस्पति एवं जीव सामान्यतः पाए जाने वाले हैं एवं क्षेत्र में कोई विशिष्ट प्रकार के जंगल / वनस्पति उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा, परियोजना स्थल के 10 किलोमीटर सीमा में कोई राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीवन अभ्यारण्य, पक्षी अभ्यारण्य नहीं हैं। उप-परियोजना क्षेत्र में कोई दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियां भी नहीं हैं।

15. भेड़ाघाट शहर की वायु गुणवत्ता का डेटा उपलब्ध नहीं है, क्योंकि परियोजना क्षेत्र में कोई बड़े उद्योग ना होने से मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का कोई वायु निगरानी स्टेशन नहीं है। उपरोक्त स्थिति को देखते हुए एवं प्राथमिक वायु गुणवत्ता की निगरानी हेतु MPUDC द्वारा तीन स्थानों पर अप्रैल 2018 में वायु की गुणवत्ता निगरानी की गयी ताकि वायु निगरानी की सामान्य जानकारी निर्माण कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व प्राप्त की जा सके। 10-12 जुलाई, को वायु निगरानी 2018 के परिणामों के लिए की गई थी, परिणाम बताते हैं कि भेड़ाघाट का परिवेश एवं वायु गुणवत्ता केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा निर्धारित मानकों की सीमा में है।

16. भेड़ाघाट में रहने वाले समुदाय की सांस्कृतिक और सामाजिक स्थिति को समझने के लिए सामाजिक अध्ययन किया गया है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार, भेड़ाघाट की जनसंख्या 6657, लिंगानुपात 884 एवं औसत साक्षरता दर 66.40% है, जो राष्ट्रीय औसत 64.8% से अधिक है। अनुसूचित जाति की जनसंख्या 903 हैं जबकि जनजातीय जनसंख्या 1174 है।

अनुमानित प्रभावों का आकलन

17. अनुमानित प्रभाव और संबंधित शमन उपायों का विश्लेषण परियोजना के प्रभाव क्षेत्र और उप-परियोजना की प्रकृति से संबंधित सामान्य प्रभावों के लिए अलग-अलग किया जाता है। परियोजना के परिमाण और महत्व के आधार पर, प्रकृति, अवधि और प्रभावों की सीमा का आकलन किया जाता है।

18. लाभार्थी समुदायों और पर्यावरण पर परियोजना का प्रभाव सकारात्मक होने की उम्मीद है जिसके परिणामस्वरूप उप-परियोजना क्षेत्र में लोगों के जीवन में स्वास्थ्य और गुणवत्ता में सुधार होगा। उप-परियोजना क्षेत्र में कोई पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्र न होने के कारण, इस प्रकार के स्थायी रूप से नकारात्मक या प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभाव की पहचान नहीं की गई। यह उप-परियोजना एकीकृत सीवरेज प्रणाली है जिसमें परंपरागत सीवर सिस्टम उपचार संयंत्र, पंपिंग स्टेशन, आउटफॉल सीवर, और छोटे बोर सॉलिड फ्री सिस्टम (एसबीएसएफएस) का निर्माण शामिल है, इसलिए इस उप-परियोजना को पर्यावरण परिप्रेक्ष्य से 'E_a' के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ।

19. प्रस्तावित उप-परियोजना के अंतर्गत एसटीपी और आईपीएस शासकीय भूमि पर बनाने की योजना तैयार की गई है। परिसर में और उसके आस-पास ऐसे कोई अनधिकृत निवास या अतिक्रमण नहीं है, जो परियोजना से प्रभावित हो सकते हैं। सीवर लाइन बिछाने से (दुकानों और घरों के संदर्भ में) यातायात, सड़कों तक पहुंच (विशेष रूप से घने और वाणिज्यिक क्षेत्रों और संकीर्ण सड़कों) आदि, स्थानीय समुदाय के लिए अस्थायी व्यवधान का कारण बन जाएगा। यह पाया जाता है कि शहर के मुख्य बाजार में सीवर लाइन बिछाने के दौरान दुकानों तक पहुंच मार्ग अस्थायी रूप से प्रभावित हो सकता है। इस मुद्दे को सीवर लाइनों को 250 मीटर के छोटे-छोटे हिस्सों में रखकर और दुकानों तक उचित पहुंच मार्ग की व्यवस्था करके दूर करने का प्रस्ताव है। सड़कों में, निवासियों ने सड़क या मार्ग तक सीधी पहुंच के लिए नालियों पर रैंप बनाए हैं। RoW के भीतर पाइपलाइन बिछाने के दौरान, इस तरह के रैंप को निकालना होगा। ईएसएमपी में इन रैंपों को फिर से बनाने का प्रावधान शामिल है और यह निविदा दस्तावेज में भी शामिल है।

20. निर्माण-पूर्व, निर्माण-अवधि और संचालन चरणों के दौरान संभावित पर्यावरण और सामाजिक प्रभाव का आंकलन किया जाता है और इन चरणों के दौरान संभावित शमन उपाय अपनाने का सुझाव दिया गया है। पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों में से मुख्य इस प्रकार हैं-1) निर्माण के दौरान धूल और ध्वनि प्रदूषण के कारण वायु प्रदूषण 2) खुदाई गतिविधियों के कारण उत्पन्न अपशिष्ट का निपटान 3) एसटीपी / एसपीएस साइट पर वनस्पति को नुकसान (लगभग 5-8 संख्या) तथा सीवर नेटवर्क बिछाने के दौरान (मुख्य रूप से नेटवर्क के संरेखण के साथ बबूल-वाचेल्लिया नीलोटिका, नीम-आज़ादिरचाता इंडिका वृक्ष) 4) सीवर नेटवर्क बिछाने के कारण घरों तक के पहुंच मार्ग में अस्थायी व्यवधान 5) यातायात में अस्थायी व्यवधान (प्रत्येक कार्यावधि पर 2 से 3 दिन के लिए) 6) विक्रेताओं का अस्थायी स्थानांतरण (जमीन पर

बैठने वाले या मोबाइल गाड़ियां) - अस्थायी रूप से प्रभावित होने वाले विक्रेताओं की संख्या-35; 7) घरों तक पहुँच के दृष्टिकोण से नालियों पर विस्तार: अस्थायी रूप से प्रभावित होने वालों की संख्या-100; 8) 40 छोटे दुकानदारों को प्रभावित होने की संभावना है। इस तरह के प्रभाव संयुक्त रूप से पीआईयू और ठेकेदार द्वारा निर्माण चरण के दौरान संयुक्त रूप से सत्यापित किए जाएंगे और रिपोर्ट में आंकलित किए जाएंगे।

हितग्राही और सामान्य वर्ग के साथ परामर्श

21. पर्यावरणीय डेटा इकट्ठा करने, संभावित प्रभावों को समझने, समुदाय और व्यक्तिगत वरीयताओं को निर्धारित करने, परियोजना विकल्पों का चयन करने और व्यावहारिक और दीर्घकालिक समाधान और मुआवजे की योजनाओं को डिजाइन करने के लिए सार्वजनिक परामर्श बहुत उपयोगी है। ESA अध्ययन के दौरान भेड़ाघाट सीवरेज योजना के लिए व्यापक सार्वजनिक परामर्श मीटिंग की गई थी। परामर्श का मुख्य उद्देश्य समुदाय को प्रारम्भिक चरण में शामिल करना था, ताकि संभावित नकारात्मक प्रभावों की पहचान हो सके और नकारात्मक प्रभाव को कम करने और परियोजना के सकारात्मक प्रभावों को बढ़ाने के तरीकों को ढूँढा जा सके। इस ईएसए अध्ययन के दौरान भेड़ाघाट सीवरेज योजना के लिए व्यापक सार्वजनिक परामर्श बैठकें आयोजित की गईं।

22. संबंधित स्थानीय प्रशासन और निर्वाचित प्रतिनिधियों की मदद से अप्रैल 2017 एवं मई 2018 में परियोजना क्षेत्र के वार्डों में सार्वजनिक परामर्श, जागरूकता और समावेश बैठकें आयोजित की गईं। सार्वजनिक परामर्श के लिए सामुदायिक सदस्यों के साथ समय-समय पर बैठकें आयोजित की गई। इन बैठकों में सभी वर्गों और विभिन्न आय स्तर समूहों का प्रतिनिधित्व भी सुनिश्चित किया गया। परामर्श में मुख्य टिप्पणियों एवं चिंताओं को ध्यान में रखते हुए डिजाइन और कार्यान्वयन गतिविधियों में बदलावों का सुझाव दिया गया।

23. परामर्श के दौरान चर्चा के प्रमुख मुद्दों में शामिल है: परियोजना पृष्ठभूमि, परियोजना कार्यान्वयन की समस्याएं और लाभ, शहर में सीवरेज सिस्टम की अनुपस्थिति, स्लज एवं नालियों में जमा गंदा पानी शहर में सभी ओर दिखाई पड़ता है जिसके कारण प्रदूषण और मच्छरों के पैदा होने से अनेक स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न होती हैं; स्थानांतरण और पुनर्वास को कम से कम करना चाहिए एवं आजीविका के साधनों के नुकसान को रोकने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए; परियोजना गतिविधि में महिलाओं की भागीदारी, स्थानीय मजदूरों की भागीदारी, बच्चों की सुरक्षा इत्यादि। कई परिवारों को शौच के लिए बाहर जाना पड़ता है जिस कारण उन्हें अनेक स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

भेड़ाघाट की जनजातीय एवं कमजोर (संवेदनशील) जनसंख्या की पहचान और आंकलन

24. मध्य प्रदेश की जनजातीय आबादी जो 2001 में 12,233,474 थी, वर्ष 2011 में 12,336,744 हो गई है। मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों को "भारतीय संविधान की पांचवीं अनुसूची के अंतर्गत निर्धारित अनुसूचित क्षेत्र" अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया है। भेड़ाघाट शहर उपरोक्त निर्धारित सूची में सम्मिलित नहीं है। हालांकि, भेड़ाघाट में जनजातीय और कमजोर आबादी के लिए सामाजिक प्रभाव की स्क्रीनिंग और मूल्यांकन किया गया था और जनजातीय लोगों पर परियोजना की वजह से कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पाया गया।

25. पहचान, सामाजिक प्रभाव स्क्रीनिंग, मूल्यांकन और सूचना परामर्श के आधार पर यह पाया गया कि ये समूह एक अलग समूह नहीं हैं, और ना ही उनके पास कोई अलग सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक, या राजनीतिक संस्थान हैं। वे स्थानीय हिंदी भाषा भी अच्छी तरह से जानते हैं। प्रक्रिया के दौरान मूल्यांकन में कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पाया गया, इसलिए पृथक से आईपीपी / टीवीडीपी तैयार नहीं किया गया।

पर्यावरण और सामाजिक प्रबंधन योजना

26. **पर्यावरण और सामाजिक प्रबंधन योजना**: सभी नकारात्मक प्रभावों को कम करने के उपायों को सम्मिलित करते हुए एक पर्यावरण और सामाजिक प्रबंधन योजना (ESMP) विकसित की गई है।

प्रस्तावित बुनियादी ढांचे के स्थान और बैठकों पर, प्रभाव को और कम करने के लिए निम्न बिन्दु शामिल किये गये हैं- (i) भूमि अधिग्रहण और लोगों के स्थानांतरण से बचने के लिए शासकीय भूमि पर STP एवं IPS निर्माण करना और (ii) भूमि अधिग्रहण को कम करने और मुख्य रूप से शहर के घनी आबादी वाले क्षेत्रों में आजीविका पर होने वाले प्रभावों को कम करने के लिए मुख्य सडक़ के किनारों में पाइप डालने का निर्णय।

27. ईएसएमपी में शामिल शमन उपायों जैसे कि (i) यातायात प्रभाव को कम करने के लिए स्थानीय यातायात पुलिस के समन्वय में यातायात प्रबंधन योजना का कार्यान्वयन; (ii) संभावित व्यवधान वाले स्थानों पर निवासियों और व्यवसायों को सूचित करने के लिए जागरूकता अभियान और परामर्श; (iii) खुदाई की गई नालियों को पार करने के लिए पैदल मार्गों और अन्य उपयुक्त स्थानों पर पहुंच सुनिश्चित करने के लिए उपायों का प्रावधान करना (iv) संवेदनशील क्षेत्रों जैसे अस्पतालों, स्कूलों, पूजा स्थलों और अन्य शान्त-जोनों में ध्वनि कम करने के उपायों का उपयोग; (vi) धूल-दमन (Dust-Suppression) विधियों का उपयोग जैसे कि पानी का छिड़काव और / या स्टॉकपाइलों को कवर करना; और (vii) खुदाई से प्राप्त मिट्टी का उपयोग करने के लिए संभवतः खुदाई की सामग्रियों के फायदेमंद उपयोग को ढूंढना ताकि उसके निपटान में कठिनाई ना हो; और (viii) भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग (एएसआई) के साथ चर्चा कर संरक्षित स्मारकों के नजदीक वाले स्थल पर निर्माण पद्धति का चयन एवं पुरातात्विक ज्ञान वाले व्यक्ति की निगरानी में खुदाई का प्रस्ताव।

28. O&M चरण के लिए, समय-समय पर सुविधाओं की मरम्मत की आवश्यकता होगी, लेकिन निर्माण अवधि की तुलना में पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव बहुत कम होंगे क्योंकि काम कम होगा और केवल छोटे क्षेत्रों को प्रभावित करेगा। ईएसएमपी में O&M चरण के दौरान पर्यावरण और सामाजिक मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए निराकरण उपाय और निगरानी योजना शामिल है।

29. पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए यातायात प्रबंधन योजना, जागरूकता अभियान, धूल दमन उपायों आदि को ईएमपी के अंतर्गत तैयार किया गया है।

30. ईएसएमपी उप-परियोजना के निर्माण में मार्गदर्शन करेगा और मध्य प्रदेश शहरी विकास कंपनी (एमपीयूडीसी), परियोजना प्रबंधन इकाई (पीएमयू), परियोजना कार्यान्वयन इकाई (पीआईयू), सलाहकार और ठेकेदारों के बीच प्रभावशाली बातचीत को सुनिश्चित करेगा। ईएसएमपी (i) सुनिश्चित करेगा कि कार्य

गैर-हानिकारक तरीके से, जिम्मेदारी के साथ किया जाएगा; (ii) साइट पर पर्यावरण और सामाजिक प्रदर्शन के माप और निगरानी को सक्षम बनाने हेतु सक्रिय, सरल और व्यावहारिक उपकरण प्रदान करना;

(iii) ई.एस.एम.पी. उप-परियोजना के पर्यावरण के अनुकूल निर्माण कार्य का मार्गदर्शन करेगा और मध्यप्रदेश शहरी विकास कंपनी (एम.पी.यू.डी.सी.), परियोजना प्रबन्धन इकाई (पी.एम.यू.), परियोजना कार्यान्वयन इकाई (पी.आई.यू.), सलाहकारों, और ठेकेदारों के बीच संचार के कुशल तरीके सुनिश्चित करेगा। ई.एस.एम.पी. यह सुनिश्चित करेगा कि (i) कार्य-गतिविधियों को एक जिम्मेदार एवं गैर-हानिकारक तरीके से लागू किया जाए (ii) साइट पर पर्यावरण और सामाजिक प्रदर्शन के कार्य और उसकी निगरानी को सक्षम करने के लिए एक समर्थ-सक्रिय, व्यावहारिक प्रणाली तैयार करना (iii) उप-परियोजना के लिए किए गए पर्यावरणीय और सामाजिक मूल्यांकन के निष्कर्षों और सिफारिशों के कार्यान्वयन का मार्गदर्शन और नियंत्रण (iv) उपपरियोजना के पर्यावरण और सामाजिक प्रभाव को कम करने में सहायता के लिए आवश्यक विशिष्ट कार्यों का विवरण और (v) सुनिश्चित करना कि भारत सरकार और विश्व बैंक के पर्यावरण, स्वास्थ्य और सुरक्षा दिशा-निर्देश का अनुपालन किया जाए। ई.एस.एम.पी. में शमन उपायों के कार्यान्वयन की पर्यावरणीय स्थिति और प्रभावशीलता को मापने के लिए एक निगरानी कार्यक्रम और शमन उपायों के कार्यान्वयन की प्रभावशीलता शामिल है। परियोजना निर्माण और संचालन चरणों के दौरान नियमों के कार्यान्वयन के लिए पर्यावरण निगरानी कार्यक्रम तैयार किए गए हैं। विभिन्न मानकों के तहत पर्यावरणीय निगरानी का सुझाव दिया गया है जिसमें: परिवेश वायु गुणवत्ता, परिवेश शोर स्तर, मिट्टी आदि के साथ कार्यस्थल (साइट) पर दस्तावेज, श्रमिकों, और लाभार्थियों के साथ साक्षात्कार भी शामिल हैं। ईएसएमपी उपायों के कार्यान्वयन की अनुमानित लागत 3.02 मिलियन (INR 30.22 लाख) है। संपूर्ण उप-परियोजना के निर्माण और संचालन चरणों के लिए पर्यावरणीय निगरानी की सिफारिश की गई है।

31. एम.पी.यू.डी.सी. द्वारा संबन्धित पी.आई.यू. के माध्यम से DRBO ठेकेदार की अंतिम डिजाइन के आधार पर ESA का सत्यापन किया जाएगा और डिजाइन परिवर्तन (यदि कोई हो) के कारण, प्रभावों को पूरा करने के लिए संबंधित ई.एस.एम.पी. प्रावधान अद्यतन किए जाएंगे। अद्यतित ई.एस.एम.पी., प्रबंधन ई.एस.एम.पी. को विश्व बैंक के साथ आवश्यक मंजूरी के लिए साझा किया जाएगा और फिर एम.पी.यू.डी.सी. द्वारा पुनः प्रकाशित किया जाएगा।

मूल्यांकन और निगरानी

32. मध्यप्रदेश सरकार का शहरी विकास और आवास विभाग (यू.डी.एच.डी.), एम.पी.यू.डी.पी. के लिए निष्पादन एजेसीं है और सभी निवेश कार्यक्रम गतिविधियों के प्रबंधन, समन्वय और निष्पादन के लिए जिम्मेदार है। कार्यान्वयन एजेसीं, मध्यप्रदेश शहरी विकास कंपनी लिमिटेड (एम.पी.यू.डी.सी.) है, जोकि भोपाल मे एक परियोजना प्रबंधन इकाई (पी.एम.यू.) एवं क्षेत्रीय परियोजना कार्यान्वयन इकाई (पी.आई.यू.) के माध्यम से इस कार्यक्रम को कार्यान्वित कर रही है। पी.एम.यू. बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए ठेकेदारों की नियुक्ति करेगा और पी.आई.यू. निर्माण के लिए समन्वय करेगा। पीएमयू और पीआईयू की सहायता परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता (पी.एम.सी.) करेगें।

33. ठेकेदार द्वारा पी.एम.यू. को ठेकेदार की व्यापक पर्यावरण और सामाजिक प्रबंधन योजना (सी.ई.एस.एम.पी.) समीक्षा और अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करना होगा, जिसमे; (i) निर्माण कार्य शिविरों,

भंडारण क्षेत्रों के लिए प्रस्तावित साइटें / स्थानों, सड़कों का निर्माण, निचले क्षेत्रों, ठोस और खतरनाक कचरे हेतु निपटान क्षेत्र; (ii) अनुमोदित ई.एस.एम.पी. के पालन हेतु निगरानी कार्यक्रम जैसे कि श्रम प्रबंधन योजना, सामाजिक प्रभाव प्रबंधन और (iv) सी.ई.एस.एम.पी.कार्यान्वयन के लिए बजट। सी.ई.एस.एम.पी. के अनुमोदन से पहले कोई कार्य शुरू करने की अनुमति नहीं है। कार्यान्वयन के दौरान, ठेकेदार को सी.ई.एस.एम.पी. मे अपेक्षित ई.एस.एच.एस. मापदंडो को पालन करने के लिए सामयिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना होगा।

34. ई.एस.एम.पी. // अनुमोदित सी.ई.एस.एम.पी. की एक प्रतिलिपि हर समय निर्माण अवधि के दौरान कार्यक्षेत्र (साइट) पर रखी जाएगी। ई.एस.एम.पी. को निविदा और अनुबंध दस्तावेज में शामिल किया जाएगा। इस दस्तावेज में निर्धारित शर्तों के पालन ना करने अथवा, शर्तों से हटकर कार्य करने को अनुबंध का उल्लंघन माना जाएगा।

शिकायत निवारण तंत्र

35. शहर स्तर पर एक शिकायत निवारण प्रक्रिया प्रस्तावित की गई है, जिसके अंतर्गत एक निर्वाचित प्रतिनिधि (महिला को प्राथमिकता, एक स्थानीय व्यक्ति जो सभी समुदायों को मान्य हो एवं स्थानीय व्यक्तियों के हित में बात कर सके, (एस.एन.पी. के निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा चयनित), पी.आई.यू. के सामुदायिक विकास अधिकारी (CDO) और एस.एन.पी. स्तर के समुदाय आयोजक (Community Organizer) शामिल हैं।

36. प्रभावित व्यक्ति अपनी शिकायत संबन्धित यूएलबी, पी.आई.यू. या ठेकेदार के पास लिखित रूप में या टेलीफोन के माध्यम से उनकी शिकायतों को बिन्दुवार स्पष्ट करते हुए अर्थात, आजीविका को प्रभावित करने या संपत्ति को नुकसान या पहुंचमार्ग में रुकावट को प्रभावित करने वाली निर्माण गतिविधियों से संबंधित शिकायतों को दर्ज करेगा। शिकायत का निवारण 48 घंटों के अंदर किया जाएगा। हालांकि, यदि कोई तकनीकी समस्या है, तो प्रभावित व्यक्ति को तदनुसार सूचित किया जाएगा।

37. पीआईयू के प्रोजेक्ट मैनेजर परियोजना सबंधित शिकायतों के निवारण के लिए नोडल अधिकारी होंगे, और परियोजना से संबन्धित किसी भी प्रकार की शिकायतों / प्रतिक्रियाओं (किसी भी माध्यम से) का रिकॉर्ड रखेगें। समिति की बैठकें जब आवश्यक हो ऐसी जगह / जगहों पर आयोजित की जाएँ, जैसा कि वह उपयुक्त मानता है और कार्यवाही को एक अनौपचारिक तरीके से संचालित करें, जोकि प्रभावित हितग्राहियों के बीच एक सौहार्दपूर्ण निराकरण लाने के उद्देश्य से होना चाहिए। रिकार्ड हेतु ऐसी सभी बैठकों का कार्यवाही विवरण तैयार किया जाएगा।

अनुशंसा एवं निष्कर्ष

38. पर्यावरण और सामाजिक विश्लेषण के बाद भेड़ाघाट शहर के लिए प्रस्तावित उप-परियोजना की ईएसए रिपोर्ट से निष्कर्ष निकलता है कि इस परियोजना से लोगों के जीवन, स्वास्थ्य और पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव होगा। इस परियोजना के अंतर्गत कोई भी भूमि अधिग्रहण या विस्थापन नहीं है।

प्रस्तावित परियोजना से उत्पन्न संभावित मुद्दों को संबोधित करने के लिए एमपीयूडीपी, पर्यावरण और सामाजिक आकलन के पर्यावरण और सामाजिक प्रबंधन ढांचे के अनुसार आयोजित किया गया था।

39. उप-परियोजना क्षेत्र में या उसके पास पर्यावरण के संवेदनशील क्षेत्रों (जैसे जंगल, अभ्यारण्य, आदि) नहीं हैं। शहर के भीतर पुरातात्विक और ऐतिहासिक संरक्षित क्षेत्र / साइटें हैं; परंतु उप-परियोजना घटकों में से कोई भी 100 मीटर / 300 मीटर क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है, इसलिए एएसआई से अनुमति की आवश्यकता नहीं है। अतः परियोजना क्षेत्र में पहचाने गए प्रभाव केवल निर्माण और सचांलन चरण तक ही सीमित हैं।

40. उप-परियोजना हेतु भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता नहीं है साथ ही संपत्तियों और आजीविका पर कोई स्थायी प्रतिकूल प्रभाव है; अतः ईएसएमएफ के अनुसार आरएपी की आवश्यकता नहीं है परंतु कार्य के दौरान मामूली क्षति का अनुमान है जिसकी पहचान आवश्यक है। इस हानि को पहचानने के लिए डीआरबीओ ठेकेदार द्वारा मूल्यांकन किया जाएगा और ईएसए और एसएमपी का अनुमोदन एवं अद्यतन एमपीयूडीसी द्वारा किया जाएगा।